



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1934 (श०)  
(सं० पटना 382) पटना, सोमवार, 6 अगस्त 2012

सं० प्रो०डे०को०-६३/२००६—१२३१-प०नि०

पर्यटन निदेशालय

संकल्प

27 जुलाई 2012

पर्यटन निदेशालय, बिहार ने होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने के लिए विभागीय नियम एवं शर्त के अधीन निम्न संशोधन किया गया है :—

1. होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को मान्यता देने के क्रम में इसे दो श्रेणियों में रखकर मान्यता शुल्क लिया जायेगा। श्रेणी A में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 ठहरने योग्य कमरों से अधिक हों तथा ५०सी० कमरा उपलब्ध हो, ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 5000 रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।  
श्रेणी B में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 या 15 कमरों से कम हो ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 3000 रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।
2. प्रथम बार मान्यता पूर्व की तरह तीन वर्षों के लिए दिया जायेगा तथा उपर्युक्त श्रेणियों के लिए कर्णाकित राशि अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के मामले में भी क्रमशः 5000 एवं 3000 रु० रखा गया है।
3. शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ निदेशक, पर्यटन, बिहार के नाम से देय होगा।

---

आदेश :- दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय एवं इस गजट की 100 प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।  
पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 156, दिनांक 17.01.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से,

धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

निदेशक, पर्यटन।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 382-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>